


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100


रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES




सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIAN NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


GB 415230



श्रीमान् प्रसन्न अधिकारी महोदय  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा।

मैने निदेश अग्रवाल पुत्र सुरेश चन्द्र अग्रवाल निवासी म0न0 49 फेस-1 शेखर रेजीडेन्सी सिकन्दरा जिला आगरा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:-

- 1- मैने वन विभाग उ0प्र0 में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है जिसका खसरा न0 316 नगला दूल्हे खों, आगरा- जगनेर मार्ग पर आवटित पेट्रोल पम्प के बफर जोन व प्रवेश मार्ग निकास मार्ग में स्थित वृक्षो के सन्दर्भ में है ।
- 2-मैरे द्वारा वर्तमान तथा भविश्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा तथा प्रवेश मार्ग के अर्दन सोल्डर में पापडी-112 सेमी. तथा निकास मार्ग के किनारे पापडी- 78सेमी व निकास मार्ग के अर्दन सोल्डर में शीशम 82 सेमी.. पापडी -109 सेमी. सिरस -130 सेमी. वृक्ष तथा बफर जोन में स्थित वृक्ष- पापडी-88 सेमी. कंजी-79 सेमी. कंजी-66 सेमी कुल 08 वृक्ष विद्यमान है जिनका पातन नहीं किया



*Neelish*

है मेरे द्वारा इसका संरक्षण किया जायेगा। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग का निर्माण कार्य बिना वृक्ष के कटाई छटाई व बिना पातन किये, कराया जायेगा।

3- मेरे द्वारा वर्तमान तथा भविष्य मे उक्त पेट्रोल पम्प के निर्माण के दौरान बफर जोन व प्रवेश मार्ग-निकास मार्ग में उक्त वर्णित पेड़ो/वृक्षो को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा।

सत्यापन:- शपथ पत्र की मद स0 01 से 03 तक मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है इसका सत्यापन आज दिनांक 29-9-2023 वमुकाम कलैक्ट्रेट आगरा पर किया गया है।

No. 701  
Explained to N. Nitesh Agrawal  
Who Understood the Contents.....  
Solemnly affirmed and declare on.....  
oath on 29.9.23  
at on Ag. 94  
identified by [Signature]

शपथकर्ता

Nitesh

नितेश अग्रवाल पुत्र सुरेश चन्द्र अग्रवाल  
निवासी म0न0 49 फेस-1  
शेखर रेजीडेन्सी सिकन्दरा  
जिला आगरा उ0प्र0  
मो0न0 9557330265

